Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 1, 2013
(PHALGUNA 10, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st March, 2013

No. 8-HLA of 2013/11.—The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

HARYANA BILL NO. 8-HLA OF 2013

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2013.

Amendment of Preamble to Haryana Act 8 of 1975.

2. For the existing preamble to the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter referred to as the principal Act), the following preamble shall be substituted, namely:-

"to regulate the use of land in order to prevent ill- planned and haphazard urbanization in or around towns and for development of infrastructure sector and infrastructure projects for the benefit of the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto .".

Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1975.

3. After clause (aa) of section 2 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

'(aaa) "Board" means the Haryana Infrastructure Development Board constituted under section 3AA;'.

Amendment of section 3A of Haryana Act 8 of 1975.

4. In section 3A of the principal Act,-

(i) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(7) The Fund shall be collected and managed by the Director and passed on for the purpose of its further utilisation to the Board to be constituted by the Government for this purpose.";

(ii) sub-section (10) shall be omitted.

Insertion of certain sections in Haryana Act 8 of 1975.

5. After section 3A of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"**3AA.** ***Establishment and constitution of Board.***—(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish a Board consisting of the following members, namely:--

(i)	The Chief Minister of Haryana.	Chairman
(ii)	The Chief Secretary to Government of Haryana	Vice-Chairman
(iii)	The Principal Secretary to Government of Haryana, Finance Department	Member
(iv)	The Principal Secretary to Government of Haryana, Irrigation Department	Member
(v)	The Principal Secretary to Government of Haryana, Power Department	Member
(vi)	The Principal Secretary to Government of Haryana, PWD (B&R) Department	Member
(vii)	The Principal Secretary to Government of Haryana, Town & Country Planning Department	Member
(viii)	The Principal Secretary to Government of Haryana, Transport Department	Member
(ix)	The Director General, Town & Country Planning Department, Haryana.	Member
(x)	The Chief Administrator, Haryana Infrastructure Development Board	Member Secretary
(xi)	Any other person(s) to be nominated by the Government	Special Invitee

(2) The Board shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose off property and to contract, and may by the said name sue or be sued.

(3) The Board may constitute an executive committee consisting of following members to aid and to assist it in the discharge of its functions, namely:-

(i)	The Chief Secretary to Government of Haryana	Chairman
(ii)	The Principal Secretary to Government of Haryana, Finance Department	Member
(iii)	The Principal Secretary to Government of Haryana, Town & Country Planning Department	Member
(iv)	The Director General, Town & Country Planning Department, Haryana.	Member
(v)	The Chief Administrator, Haryana Infrastructure Development Board	Member Secretary – cum – Convener
(vi)	The Administrative Secretary of the concerned Department	Special Invitee
(vii)	Any other person to be nominated by the Board	

(4) The Board shall meet at such time and place and shall observe such procedure to transact its business, as may be specified by the bye-laws.

3AB. ***Officers and Employees of the Board.***—(1) The Board shall have a Chief Administrator to be appointed by the Government to assist in its day to day functioning and shall be the overall in-charge of the officers and employees of the Board.

(2) The Board may, with the approval of the Government, create such other posts and appoint such officers and other employees thereon, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions.

(3) The conditions of service of officers and other employees referred to in sub-section (2) and their functions and duties shall be such, as may be specified in the bye-laws.

(4) All contracts with prior sanction of the Executive Committee shall be signed by the Chief Administrator and in his absence, by an officer authorised by the Executive Committee.

3AC. ***Functions and Powers of Board.***—(1) The Board shall be the apex body for overall planning and development of infrastructure sector and infrastructure projects for the benefit of State of Haryana, subject to the

limitations specified in sub-section (3).

(2) The Board shall-

(i) act as a nodal agency to co-ordinate all efforts of the Government regarding the development and implementation of infrastructure sectors and infrastructure projects for the benefit of State of Haryana, involving private participation and funding from sources other than those provided by State budget and shall,-

(a) identify infrastructure projects for private participation;

(b) promote competitiveness and progressively involve private participation while ensuring fair deal to the end-users;

(c) identify and promote technology initiatives in urban development and infrastructure development sector for improving efficiency in the system;

(d) identify bottlenecks in the infrastructure sectors and recommend to the Government policy initiatives to rectify the same;

(e) select, prioritise and determine sequencing of infrastructure projects;

(f) formulate clear and transparent policies related to the infrastructure sectors so as to ensure that project risks are clearly identified and allocated between the stakeholders; and

(g) identify the sectoral concessions to be offered to concessionaires to attract private participation and secure availability of viable infrastructure facilities to the consumers;

Provided that where participation is sought by any person by participating in disinvestment process, the provisions of this Act shall not apply:

Provided further that any authority or body, constituted to implement such disinvestment, may seek assistance from the Board.

(ii) prepare internally or through external consultants or service providers engaged for the purpose, all

necessary documents including the bid or tender documents, draft contracts including the various contractual arrangements and incentives to be offered by the Government;

(iii) assist public infrastructure agencies and concessionaires in obtaining statutory and other approvals;

(iv) recommend the grant of concessions to a public infrastructure agency in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws made there under;

(v) assist in determining the level and structuring of investments of the Government and public bodies into infrastructure projects with private participation including holding the investment or part thereof;

(vi) create a special purpose vehicle for implementation of any infrastructure project in co-ordination with the Government or public infrastructure agencies; and

(vii) administer the Fund and projects under this Act.

(3) The Board shall not play any role in the infrastructure projects undertaken by the Government exclusively through its budgetary provisions.

(4) In order to carry out its functions consistent with the provisions of this Act, the Board shall have the powers to do all or any of the following, namely:-

(i) acquire, hold, develop or construct such property, both movable and immovable, as the Board may deem necessary for the performance of any of its activities related to the development of infrastructure sectors or infrastructure projects;

(ii) advise or recommend to the Government acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 for the purposes of infrastructure projects;

(iii) lease, sell, exchange, or otherwise make allotments of the property referred to in clause (i) to concessionaire and to modify or rescind allotments, including the right and power to evict the allottees concerned on breach of any of the terms or conditions of such allotment;

(iv) borrow and raise money in such manner as the Board may think fit and to secure the repayment of any money borrowed, raised or owing by mortgage, charge, standard security, lien or

other security upon the whole or any part of the Board's property or assets (whether present or future), and also by a similar mortgage, charge, standard security, lien or security to secure and guarantee the performance by the Board of any obligation or liability, it may have undertaken or which may become binding on it;

(v) constitute a professional multi-disciplinary Project Management Team and one or more Advisory Committee or Committees or Sectoral Sub-Committee or Project Implementation Sub-Committee, or engage suitable service providers or advisors or consultants to advise the Board for the efficient discharge of its functions;

(vi) enter into and perform all such contracts as it may think necessary or expedient for performing any of its functions; and

(vii) do such other things and perform such other acts as it may think necessary or expedient for the proper conduct of its functions and for carrying into effect the purposes of creation of the Board, as contained in this Act.

3AD. ***Power to make Bye laws for efficient administration of Board***.- The Board shall, with prior approval from the Government, make bye-laws for proper performance of its functions under this Act, which without prejudice to the generality of powers may provide for the following matters, namely:-

(a) constitution, functioning and powers of Sectoral Sub-committee, Project Implementation Sub-committee;

(b) duties of officers and employees of the Board and conditions of service;

(c) conduct of the meetings of the Board, the time and place at which such meetings shall be held, the procedure to be followed in the transaction of business; and

(d) any other matters in relation to which bye-laws are required to be or may be made.

3AE. ***Power to issue directions.***—The Government may, from time to time issue such directions to the Board on matters concerning the infrastructure sectors and the infrastructure projects in the State, as it may deem fit, for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the Board shall be bound by such directions.".

Amendment of section 24 of Haryana Act 8 of

6. In Section 24 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2A) In particular and without prejudice to the generality of

1975. the foregoing power and the matters specifically provided for in this Act, the Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for efficient administration of the Board. Such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(i) prescribing the procedure to be adopted for project identification, prioritization, public hearing, finalisation of scope, funding and structuring of infrastructure projects, conducting feasibility analysis, public bidding of the project, concessionaire selection, negotiation of contract, formation of Special Purpose Vehicles, execution of concession agreement, implementation and completion of project as well as its monitoring, maintenance and impact assessment i.e. covering the complete spectrum of project cycle;

(ii) prescribing the procedure for project implementation including determination of tariff, assignment of assets, assessing feasibility and viability of finalised infrastructure projects, termination of concession agreement etc. for successful implementation of project and its termination in case of violation of provisions of agreement;

(iii) prescribing the form and manner in which finance, accounts and audit of the Board is maintained, conducted and submitted along with the form and manner in which the annual report of the Board is prepared and placed and returns are submitted;

(iv) prescribing the form and manner of furnishing returns, statements and other particulars as may be decided; ".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Section 3A of the Act 8 of 1975 provides for creation of a Fund from the receipts on account of Infrastructure Development Charges (IDC) and Infrastructure Augmentation Charges (IAC). The said Fund vests with the Director General, Town and Country Planning Haryana, and is presently administered by a High Powered Committee constituted for the purpose for investment on major infrastructure projects and for the purpose of stimulating socio-economic growth for the benefit of State of Haryana. Owing to the increasing complexities involved in such infrastructure projects and in order to leverage the Fund available for structuring and implementation of larger infrastructure projects in Public-Private-Partnership, the Government has decided for setting up of Haryana Infrastructure Development Board (hereinafter referred as the Board) as a dedicated agency for encouraging private sector investment in infrastructure

projects across all sectors through innovative development and financial structuring of infrastructure projects for implementation in Public-Private-Partnership mode, viz., Build-Operate-Transfer, Build-Own-Operate-Transfer, Joint Venture Agreement, concessionaire agreement, equity participation by State, subsidy support, incentivisation in form of tax exemptions, Viability Gap funding, Grant of Government guarantee, etc. The Section 3AA is accordingly proposed to be introduced for the constitution of Board. The sub-section 7 of section 3A is also proposed for amendment to enable transfer of amount collected under the Fund by the Director to the Board. The Preamble of the Act is also proposed for appropriate amendment to reflect the said intent and purpose.

The Board is likely to evolve as a 'multi-disciplinary Techno-Legal-Financial Institution for Promotion of Infrastructure Development in the State' under the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, with professionals drawn from Administration, Engineering, Town Planning, Legal and Finance cadres. Enabling provision for appointment of officers and employees for the Board has accordingly been made in Section 3AB. The Powers and Functions of the Board has been detailed under Section 3AC. Provision enabling the formulation of bye-laws by the Board for efficient administration of the Board has been provided under Section 3AD and the Government has been empowered under Section 3AE to issue directions to the Board for carrying out provisions of the Act. The Section 24 is also proposed for amendment to add enabling provisions for notification of Rules for prescribing various procedures to be adopted for efficient administration of the Board.

Hence this BILL

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 1st March, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या एच0एल0ए.......

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की प्रस्तावना का संशोधन। 2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है), की विद्यमान प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''हरियाणा राज्य के लाभ के लिए नगरों में या उनके चारों ओर कुयोजित तथा अव्यवस्थित नगरीकरण के निवारण हेतु भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए तथा अवसंरचना क्षेत्र तथा अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए तथा उससे सम्बन्धित तथा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम।''।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (कक) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(ककक) ''बोर्ड'' से अभिप्राय है, धारा 3कक के अधीन गठित हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड ;'।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3क का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 3क में,–

(i) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(7) निधि निदेशक द्वारा संगृहीत तथा प्रबंधित की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गठित किये जाने वाले बोर्ड के लिए उसके आगामी उपयोग के प्रयोजन के लिए पारित की जायेगी।'';

(ii) उपधारा (10) का लोप कर दिया जाएगा।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 में कतिपय धाराओं का रखा जाना। 5. मूल अधिनियम की धारा 3क के बाद, निम्नलिखित धारायें रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''3कक. बोर्ड की स्थापना तथा गठन.– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले बोर्ड की स्थापना करेगी, अर्थात् :–

(i)	मुख्य मन्त्री, हरियाणा	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	उपाध्यक्ष
(iii)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग	सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग	सदस्य

(vii)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	सदस्य
(viii)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग	सदस्य
(ix)	महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा	सदस्य
(x)	मुख्य प्रशासक, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड	सदस्य–सचिव
(xi)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला कोई व्यक्ति (व्यक्तियों)	विशेष आमन्त्रिती

(2) बोर्ड का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति अर्जित, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

(3) बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता तथा सहयोग के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली कार्यकारी समिति का गठन कर सकता है, अर्थात् :–

(i)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	सदस्य
(iv)	महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा	सदस्य
(v)	मुख्य प्रशासक, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड	सदस्य–सचिव एवं संयोजक
(vi)	सम्बन्धित विभाग का प्रशासकीय सचिव	विशेष आमन्त्रिती
(vii)	बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति	

(4) बोर्ड ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगा तथा इसके कारबार को पूरा करने के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

3कख. बोर्ड के अधिकारी तथा कर्मचारी.– (1) बोर्ड में उसके दिन–प्रतिदिन के कृत्यों को करने में सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला मुख्य प्रशासक होगा तथा बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सम्पूर्ण प्रभारी होगा।

(2) बोर्ड, सरकार के अनुमोदन से, ऐसे अन्य पदों का सृजन कर सकता है तथा उसमें ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जो वह अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

(3) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा उनके कृत्य तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो उप–विधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) कार्यकारी समिति की पूर्व स्वीकृति से सभी संविदाएं मुख्य प्रशासक द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में, कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी।

3कग. बोर्ड के कृत्य तथा शक्तियां.– (1) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अध्यधीन, बोर्ड हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सम्पूर्ण योजना तथा अवसंरचना विकास क्षेत्र तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एपेक्स निकाय होगा।

(2) बोर्ड –

(i) निजी हिस्सेदारी तथा राज्य बजट द्वारा उपबन्धित से अन्यथा स्त्रोतों से

निधिकरण को शामिल करते हुए हरियाणा राज्य के लाभ के लिए अवसंरचना क्षेत्रों तथा अवसंरचना परियोजनाओं के विकास तथा लागूकरण के सम्बन्ध में सरकार के सभी प्रयासों को समन्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा तथा,–

(क) निजी हिस्सेदारी के लिए अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करेगा ;

(ख) सिरे उपभोक्ताओं के खरे व्यवहार को सुनिश्चित करते समय निजी हिस्सेदारी में शामिल प्रतियोगीतात्मक तथा प्रगतिशीलता को बढ़ावा देगा ;

(ग) प्रणाली में दक्ष सुधार के लिए नगर विकास तथा अवसंरचना विकास क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उपक्रमण की पहचान करेगा तथा बढ़ावा देगा ;

(घ) अवसंरचना क्षेत्रों में अड़चनों की पहचान करेगा तथा उसमें सुधार करने के लिए राज्य सरकार पालिसी उपक्रमण की सिफारिश करेगा ;

(ङ) अवसंरचना परियोजनाओं के अनुक्रम का चयन करेगा, प्राथमिकता देगा तथा अवधारण करेगा ;

(च) अवसंरचना क्षेत्रों से संबंधित स्पष्ट तथा पारदर्शी पालिसियां बनाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना जोखिमों की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है तथा पणधारियों के बीच आबंटित किया गया है ; तथा

(छ) निजी हिस्सेदारी को आकर्षित करने के लिए ग्राहियों को दी जाने वाली क्षेत्रीय रियायतों की पहचान करेगा तथा उपभोक्ताओं की व्यवहार्य अवसंरचना सुविधाओं की सुलभता को सुनिश्चित करेगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति द्वारा अनिवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए सहभागिता प्राप्त करता है, तो इस अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि ऐसे अनिवेश को लागू करने के लिए गठित किया गया कोई प्राधिकरण या निकाय बोर्ड से सहायता मांग सकता है ;

(ii) आन्तरिक रूप से या प्रयोजन हेतु लगे बाहरी परामर्शदाताओं या सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगा इसमें सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न संविदात्मक ठहराव तथा प्रोत्साहनों सहित बोली या टेंडर दस्तावेज, प्रारूप संविदा शामिल हैं ;

(iii) वैधानिक तथा अन्य अनुमोदनों को प्राप्त करने में सार्वजनिक अवसंरचना अभिकरणों तथा ग्राहियों की सहायता करेगा ;

(iv) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार सार्वजनिक अवसंरचना अभिकरणों को रियायत देने की सिफारिश करेगा ;

(v) निजी हिस्सेदारी सहित अवसंरचना परियोजनाओं में सरकार तथा सार्वजनिक निकायों का निवेश स्तर तथा संरचना अवधारित करने में सहायता करेगा इसमें निवेश या उसका भाग धारण करना भी शामिल है ;

(vi) सरकारी या सार्वजनिक अवसंरचना अभिकरणों के समन्वयन में किसी अवसंचना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन हेतु साधन सृजित करेगा ; तथा

(vii) इस अधिनियम के अधीन निधि तथा परियोजनाओं का प्रशासन करेगा।

(3) बोर्ड केवल इसके बजट–सम्बन्धी उपबन्धों के बाहर सरकार द्वारा वचनबद्ध अवसंरचना परियोजनाओं में कोई भूमिका नहीं निभाएगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड को निम्नलिखित सभी या किन्हीं कार्यों को करने की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(i) बोर्ड, जैसा आवश्यक समझे, अवसंरचना क्षेत्रों या अवसंरचना परियोजनाओं के विकास से सम्बन्धित इसके किन्हीं कार्यकलापों के निष्पादन हेतु चल तथा अचल दोनों ऐसी सम्पत्ति को अर्जित, धारित, विकसित या निर्मित कर सकता है ;

(ii) अवसंरचना परियोजनाओं के प्रयोजनों हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि अर्जन हेतु सरकार को परामर्श दे सकता है या सिफारिश कर सकता है ;

(iii) ग्राही को खण्ड (i) में निर्दिष्ट सम्पत्ति का पट्टे, विक्रय, विनिमय या अन्यथा आबंटन कर सकता है, तथा ऐसे आबंटन के किन्हीं निबन्धनों या शर्तों के भंग पर सम्बद्ध आबंटितियों को बेदखल करने का अधिकार तथा शक्ति सहित आबंटन उपान्तरित कर सकता या विखण्डित कर सकता है ;

(iv) बोर्ड ऐसी रीति में, जैसा उचित समझे, धनराशि उधार ले सकता है तथा एकत्र कर सकता है तथा बोर्ड की सम्पूर्ण सम्पत्ति या आस्तियों या किसी भाग पर (चाहे वर्तमान या भविष्य) बन्धक, प्रभार, मानक प्रतिभूति, ग्रहणाधिकार या अन्य प्रतिभूति द्वारा उधार ली गई, एकत्र की गई या देय किसी धनराशि का पुनर्भुगतान सुनिश्चित कर सकता है तथा बोर्ड द्वारा किसी बाध्यता या दायित्व जिनकी इसने वचनबद्धता ली है या इस पर बाध्यकर हो गए हैं, की अनुपालना में, उसी प्रकार बन्धक, प्रभार, मानक प्रतिभूति, ग्रहणाधिकार या प्रतिभूति भी सुनिश्चित कर सकता है तथा गारंटी दे सकता है ;

(v) व्यावसायिक बहु–अनुशासनिक परियोजना प्रबन्धन टीम तथा एक या अधिक सलाहकार समिति या समितियां या क्षेत्रीय उप–समिति या परियोजना कार्यान्वयन उप–समिति का गठन कर सकता है, या बोर्ड अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए योग्य सेवा प्रदाताओं या सलाहकारों या परामर्शदाताओं को मन्त्रणा देने हेतु लगा सकता है ;

(vi) बोर्ड अपने किन्हीं कृत्यों के निष्पादन हेतु, जैसा वह आवश्यक तथा समीचीन समझें, सभी ऐसी संविदाएं कर सकता है तथा निष्पादित कर सकता है ; तथा

(vii) इस अधिनियम में यथा अन्तर्विष्ट बोर्ड अपने कृत्यों के समुचित संचालन हेतु तथा इसके सृजन के प्रयोजनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु, जैसा वह आवश्यक या समीचीन समझें, ऐसी अन्य बातें कर सकता

है तथा ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन कर सकता है।

3कघ. बोर्ड के दक्ष प्रशासन हेतु उपविधियां बनाने की शक्ति.– बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के समुचित निष्पादन हेतु उप–विधियां बना सकता है, जो शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित मामलों के लिए उपबन्ध कर सकता है, अर्थात् :–

(क) क्षेत्रीय उप–समिति, परियोजना कार्यान्वयन उप–समिति का गठन, कृत्य तथा शक्तियां ;

(ख) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्य तथा सेवा शर्तें ;

(ग) बोर्ड की बैठकों का संचालन, समय तथा स्थान जहां ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी, कारबार के संव्यवहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ; तथा

(घ) कोई अन्य मामला जिसके सम्बन्ध में उपविधियां बनाई जानी अपेक्षित हैं या बनाई जा सकती हैं।

3कङ. निदेश जारी करने की शक्ति.– सरकार, बोर्ड को राज्य में अवसंरचना क्षेत्रों तथा अवसंरचना परियोजनाओं से सम्बन्धित मामलों पर समय–समय पर ऐसे निर्देश, जैसा वह उचित समझे, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए जारी कर सकती है तथा बोर्ड ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा।''।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 24 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''(2क) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता तथा इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबन्धित मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के दक्ष प्रशासन के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :–

(i) परियोजना पहचान, प्राथमिकता, लोक सुनवाई, कार्यक्षेत्र का परिपूर्णकरण, निधिकरण तथा अवसंरचना परियोजनाओं की संरचना, सम्भाव्यता विश्लेषण संचालन, परियोजनाओं की सार्वजनिक बोली, ग्राही चयन, संविदा बातचीत, विशेष प्रयोजन साधनों का संघटन, रियायत करारनामे के निष्पादन, परियोजना के कार्यान्वयन तथा समापन के साथ–साथ इसके मॉनिटरिंग, रख–रखाव, समाघात निर्धारण अर्थात् जो परियोजना साईकिल के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम के अन्तर्गत आते हों, के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित करना ;

(ii) परियोजना की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तथा करार के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में उसकी समाप्ति के लिए टैरिफ के अवधारण, आस्तियों की सुपुदर्गी, परिपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की संभाव्यता तथा व्यवहार्यता निर्धारण, रियायत करारनामें की समाप्ति इत्यादि सहित परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया विहित करना ;

(iii) प्ररूप तथा रीति जिसमें बोर्ड के वित्त, लेखे तथा लेखा–परीक्षा अनुरक्षित, संचालित तथा प्ररूप तथा रीति सहित प्रस्तुत जिसमें बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, तथा रखी जाती है, तथा विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं, विहित करना ;

(iv) यथा विनिश्चित विवरणियां, कथन तथा अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने का प्ररूप तथा रीति विहित करना ;''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1975 के अधिनियम 8 की धारा 3क में अवसंरचना विकास प्रभार (आई.डी.सी) तथा अवसंरचना संवर्धन प्रभार (आई.ए.सी) के कारण प्राप्तियों से निधि के सृजन का प्रावधान है। इस निधि को मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए तथा हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रेरित करने के प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है तथा यह निधि वर्तमान में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना, हरियाणा में निहित है । ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं में जटिलताओं के बढ़ने के कारण तथा लोक–निजी भागीदारी में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की संरचना तथा प्रर्वतन के लिए उपलब्ध निधि के उत्तोलन के उद्देश्य से सरकार द्वारा हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड (जिसे, इसमें, इसके बाद बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की स्थापना करने का निर्णय लिया है जोकि लोक–निजी–भागीदारी ढंग, अर्थात्, निर्माण–परिचालन–अन्तरण, निर्माण–स्वंय–परिचालन–अन्तरण, संयुक्त जोखिम करार, ग्राही करार, राज्य द्वारा समदृष्टि, भागीदारी, आर्थिक सहायता समर्थन, कर छूट के रूप में प्रोत्साहन व्यवहार्थता, अन्तर निधिकरण, सरकारी गांरटी द्वारा तथा अवसंरचना परियोजनाओं के नवीनतम विकास तथा वित्तीय संरचना के माध्यम से सभी क्षेत्रों के अवंसरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र निवेश को बढावा देने हेतु एक समर्पित एजेंसी होगी। तदा्नुसार धारा 3कक को बोर्ड के गठन के लिए प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। धारा 3क की उपधारा (7) को निदेशक द्वारा बोर्ड को निधि के अधीन सगृहीत राशि के अन्तरण को समर्थ करने हेतु संशोधन के लिए प्रस्तावित है। अधिनियम की प्रस्तावना को भी उक्त उद्देश्य तथा प्रयोजन को प्रतिबिम्बित करने के लिए उचित संशोधन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

राज्य में अवसंरचना विकास को उन्नत करने के लिए बोर्ड का एक ''बहु–अनुशासनिक–तकनीकी –विधिक–वित्त संस्था'' के रूप में विकसित होना संम्भाव्य है, जोकि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के अधीन होगा। जिसमें प्रशासन, अभियांत्रिकी, नगर योजना, विधिक तथा वित संवर्गों के पेशेवर व्यवसायों के अधिकारी होगें । बोर्ड के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु समर्थ व्यवस्था धारा 3कख में की गई हैं। बोर्ड की शक्तियों तथा कृत्यों को धारा 3कग में निर्दिष्ट किया गया है। बोर्ड के दक्ष प्रशासन के लिए बोर्ड द्वारा उप–विधियों का सूत्रीकरण समर्थ करने के लिए व्यवस्था धारा 3कघ में की गई है तथा सरकार को अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने हेतु धारा 3कड• में शक्ति दी गई है। धारा 24 में बोर्ड के दक्ष प्रशासन के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को विहित करने के लिए नियमों की अधिसूचना हेतु समर्थ उपबन्ध जोड़ने के लिए संशोधन करना भी प्रस्तावित किया गया है।

अतः यह विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
मुख्य मन्त्री, हरियाणा

चण्डीगढ़ : सुमित कुमार,
दिनांक 1 मार्च, 2013. सचिव ।